



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



IN-UP81918863473284W

155


e-Stamp

135324



Certificate No. : IN-UP81918863473284W ✓
 Certificate Issued Date : 29-Feb-2024 04:36 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800454400768130376W
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-147 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : ILIYAS SO MOULA MIYA
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 9,56,340
 (Nine Lakh Fifty Six Thousand Three Hundred And Forty only)

9,56,340



9,56,340



Please write or type below this line

IN-UP81918863473284W

محمد الیاس میا



M
O.S.D.
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या

IRID 0021744403


Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp Certificate should be verified at www.e-stamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and its available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





0051744403



O.S.D.
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या

विक्रय पत्र
कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
147	1662690147000012	0.6210

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.6210 हेक्टा


6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
147	0.6210	गा0सं0-146	गा0सं0-148 व 149	गा0सं0-134 व 133	चकमार्ग गाटा सं0 214


محمد الیاس خان



O.S.D.
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या



1950
1950



1950

1950

7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
147	0.6210	इलियास उर्फ मो० इलियास खान	मौलामिया उर्फ मौला खान	0.6210	13662000.00	13662000.00
			योग	0.6210	13662000.00	13662000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 956340.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -


विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
इलियास उर्फ मो० इलियास खान	मौलामिया उर्फ मौला खान	903169292643	CLEPK2162G	9935124406		एस आर ए 863 एम 807 एबी रोड ब्लॉक नं० 33 मर्यादा नगर मुंबई महाराष्ट्र

محمد الياحسان



१६
O.S.D.

अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या



10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता नाम	का का पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पिन संख्या	कार्ड	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7	8
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित महेन्द्र कुमार सिंह ओ0एस0डी0 अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री अरुण लाल कुशवाहा		AAALA0208 C		9851703338	अध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं0-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुनाग-13 लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वानियो और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अनिलेख विक्रय विलेख का अंश है।


कुशवाहा



16

O.S.D.

अयोध्या विकास प्राधिकरण



10-11-2016



- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ज- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	इलियास उर्फ मो० इलियास खान	मौलागिया उर्फ मौला खान	Bombay Mercantile Co-Operative Bank Limited.	BMCB0000010	010100100006913	13662000.00
				योग		13662000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (एक करोड़ छत्तीस लाख बासठ हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

محمد الیاس خان



१६

O.S.D.

अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या



3/11/2020



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-
हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
परवेज अहमद	इलयास खा	9935124406	व्यापार	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

محمد اليا سي 6ان



14
O.S.D.
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य



भारत गणराज्य

द्वितीय पत्रा अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (द्वितीय संस्करण) क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पत्राक्रम भूमि के सापेक्ष क्षेत्र पर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका वितरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अतीतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवृद्ध कोई बात या भूवृद्ध किसी भी प्रकार से शर्तों के रूप से शर्तों वाली बात क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है--

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का चुम्बत कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगे, भले ही इस पर फराल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसका भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सायुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रकार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रकार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वाती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में अशकल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रोग्राम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उचित भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

محمد الياضان



14

O.S.D.

अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या



Seal/Signature



- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिनों का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
008	147	0.6210		13662000.00	-	-
भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण						
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)	देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उन परिमाण			
			नाम	पिता/पति का नाम	पता	
08	09	10	11			
		13662000.00	इलियास उर्फ मो० इलियास खान	मौलामिया उर्फ मौला खान	एस आर ए 863 एम 807 एकी रोड ब्लॉक नं० 33 मर्यामा नगर मुबई महाराष्ट्र	

360 W 12 2






Handwritten text in the bottom left corner, possibly a signature or initials, which is mostly illegible due to fading.

नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	इलियास उर्फ मो० इलियास खान	मौलामिया उर्फ मौला खान	एस आर ए 803 एम 807 एबी रोड ब्लॉक न० 33 मर्यामा नगर मुकई महाराष्ट्र	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

محمد الیاس خان



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
महेन्द्र कुमार सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री अच्छे लाल कुशवाहा
व्यवसाय : नोकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



१५

महेन्द्र कुमार सिंह अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि


श्री. अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/02/2024
एवं 05:03:22 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक :सोहावल
अयोध्या
29/02/2024

निबंधक लिपिक
29/02/2024



प्रिंट करें

१५
०५.०३.२०२४
महेन्द्र कुमार सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
परवेज अहमद	इलयास खा	9935124406	व्यापार	धिरी मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	Parusgk

محمد الياض



क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(महेन्द्र कुमार सिंह)
ओ0एस0डी0
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम

محمد الياض



ओ.एस.डी.
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या

आवेदन सं०: 202400904001697

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1353

वर्ष: 2024


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उफ्त विक्रेता: 1

श्री इलियास उर्फ मो इलियास खान, पुत्र श्री मौलामिया उर्फ मौला खान

निवासी: एस आर ए 863 एम 807 एबी रोड ब्लॉक नं० 33 मर्यादा नगर मुम्बई महाराष्ट्र

व्यवसाय: व्यापार
क्रेता: 1

محمد الياسون




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा महेन्द्र कुमार सिंह, पुत्र श्री अच्छे लाल कुशवाहा

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

Mf



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

(Signature)




श्री परवेज अहमद, पुत्र श्री इलयास खां

निवासी: चिरामोहम्मदपुर पर० मंगलसी तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

Parvez



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

29/02/2024

निबंधक लिपिक अयोध्या

29/02/2024

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

प्रिंट करें

सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
147	इलियास उर्फ मो० इलियास खान	मौलागिया उर्फ मौला खान	0.6210	

निष्पादन का दिनांक:-
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

محمد الباسون



14

O.S.D.
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3273 के पृष्ठ 97 से 118 तक क्रमांक 1353 पर दिनांक 29/02/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
29/02/2024

